

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.10(6)/2012/West/L&B/LA/ 8361

Dated. 29/8/13

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this Notification u/s 4 No.F.10(6)/2012/West/L&B/LA/ 8316 dated 27/8/13 and u/s 6 No.F.10(6)/2012/West/L&B/LA/ 8360 dated 29/8/13 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.

Vinay Kumar
(Vinay Kumar)
Addl. Secretary (L&B)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

सं एफ. १० (६) / २०१२ / वैस्ट / भू. व. भ. / भू. अ. / ८३६।
अधिसूचना

दिनांक: २९/८/२०१३

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (परिवर्ग), नई दिल्ली को राहप निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ. १० (६) / २०१२ / वैस्ट / भू. व. भ. / ८३१६ दिनांक २७/८/१३ धारा ४ एवं एफ. १० (६) / २०१२ / वैस्ट / भू. व. भ. / ८३६० दिनांक २९/८/१३ धारा ६ में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

विनय कुमार

(विनय कुमार)

अतिरिक्त सचिव (गृह. व.)